

तरल कचरा प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) के लिए तरल कचरे प्रभावी प्रबंधन किया जाना चाहिए।

इसमें रसोई उपयोग और स्नान से सृजित गंदला पानी, और बरसाती पानी, नालियों और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सोक पिट् द्वारा, और सेप्टिक टैंकों के ओवरफ्लो से निकले गंदे पानी (ब्लैक वाटर) का, प्रबंधन शामिल किये जाना चाहिए।

स्नानागार या रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल जिसमें कोई मल संदूषण नहीं हो, ग्रे वॉटर कहलाता है। ग्रे वॉटर के उदाहरणों में स्नान, शॉवर, लॉण्ड्री और रसोई के सिंक से निकलने वाला अपशिष्ट जल शामिल है।

ग्रे वॉटर (गंदला जल) घर के कार्यकलापों के कारण पैदा होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं सांस्कृतिक आदतों, रहन-सहन के स्तर, पारिवारिक जनसांख्यिकी और उपयोग किए जाने वाले घरेलू रसायनों जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ग्रे वॉटर (गंदला जल) सबसे कम दूषित अपशिष्ट जल है जिसे बहुत कम मात्रा में उपचार की आवश्यकता होती है।

गांव में से वॉटर प्रबंधन प्रणालियों पर लक्षित आबादी की जरूरतों और वरीयता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उपयुक्त स्तरों पर, कम संचालन व रख-रखाव लागत वाली सबसे उपयुक्त और आसान प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को उपयोग करने के लिए चुना जाना चाहिए।

छोटी ग्राम पंचायतों गांवों में, अधिक विकेंद्रीकृत और घरेलू केन्द्रित वृष्टिकोणा जैसे व्यक्तिगत सोक पिट्स/लीच पिट्स/मैजिक पिट्स का उपयोग अधिक व्यवहार्य और बेहतर होता है।